न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), फलौदी
बइजलास – डॉ. अर्चना व्यास (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं. 03/2020

वादी — बनाम — प्रतिवादीगण

रामचन्द्रराम पुत्र बरसिंगाराम
जाति – विश्नोई
निवासी–गोदाणा
(गांधीसागर)
तहसील – फलोदी
जिला – जोधपुर (राज.)

1/1 अमरी पत्नि बीरबलराम
1/2 हडमानराम पुत्र बीरबलराम
1/3 रूपाराम पुत्र बीरबलराम
2. अर्जुनराम पुत्र नरसिंगाराम
3. धनाराम पुत्र सांवताराम
सभी जाति– विश्नोई
निवासी गोदाणा(गांधीसागर)
तहसील– फलोदी
जिला जोधपुर(राज.)
4. शाखा प्रबंधक यूको बैंक
शाखा घंटियाली
5. श्रीमान् तहसीलदार फलोदी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–
श्री सुरेन्द्र कुमार विश्नोई अधिवक्ता वादी की ओर से।
श्री उगराराम उदाणी प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से।

दिनांक :– 10/01/23

निर्णय

वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार फलौदी को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तहरीर जारी की गयी जिसकी पालना में तहसीलदार फलौदी ने विभाजन प्रस्ताव पेश किया जिस पर अधिवक्ता वादी व अधिवक्ता प्रतिवादी ने विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने पर सहमती प्रदान की। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया वाद अवलोकन वादी का वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है अतः वादी का वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है ग्राम गोदाणा पटवार क्षेत्र भीयासर तहसील फलोदी के खेत खसरा संख्या 363 कुल रकबा 7.5676 हैक्टयर भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02, 03 प्रत्येक का 1.8919 – 1.8919 हैक्टयर किस्म बी–4 तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 के वारिसान का संयुक्त रूप से 1.8919 हैक्टयर किस्म बी–4 हिस्सा भूमि माफिक विभाजन प्रस्ताव में नजरी नक्शा अनुसार रखी जाती है। तहसीलदार फलौदी को आदेश दिया जाता है की माफिक निर्णय राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा। माफिक आदेश अंतिम डिक्री पर्चा अलग से मूर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हों।
निर्णय आज दिनांक 10/01/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

डॉ. अर्चना व्यास (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) फलौदी

डिगरी बमुकदमें इस्तदाई
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत श्री सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) फलोदी
बइजलास डॉ. अर्चना व्यास (आर.ए.एस.)

वादी
रामचन्द्रराम पुत्र वरसिंगाराम
जाति – विश्नोई
निवासी–गोदाणा
(गांधीसागर)
तहसील – फलोदी
जिला – जोधपुर (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण
1/1 अमरी पत्नि बीरबलराम
1/2 हड़मानराम पुत्र बीरबलराम
1/3 रूपाराम पुत्र बीरबलराम
7. अर्जुनराम पुत्र नरसिंगाराम
8. धनाराम पुत्र सांवताराम
सभी जाति– विश्नोई
निवासी गोदाणा(गांधीसागर)
तहसील– फलोदी
जिला जोधपुर(राज.)
9. शाखा प्रबंधक यूको बैंक
शाखा घंटियाली
10. श्रीमान् तहसीलदार फलोदी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद संख्या 03/2020
जीसीएमएस 2020/00003

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे व हाजिर श्री सुरेन्द्र कुमार विश्नोई वादी अधिवक्ता व उगराराम उदाणी प्रतिवादी अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम गोदाणा पटवार क्षेत्र भीयासर तहसील फलोदी के खेत खसरा संख्या 363 कुल रकबा 7.5676 हैक्टयर भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02, 03 प्रत्येक का 1.8919 – 1.8919 हैक्टयर किस्म बी–4 तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 के वारिसान का संयुक्त रूप से 1.8919 हैक्टयर किस्म बी–4 हिस्सा भूमि माफिक विभाजन प्रस्ताव में नजरी नक्शा अनुसार रखी जाती है। तहसीलदार फलौदी को आदेश दिया जाता है की माफिक निर्णय राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा।

मुतालिक

बाबत

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करें। वसूली याबी तक बसब्त मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 01 सन् 2023 को जारी की गई।

दस्तखत
सहायक कलक्टर एवं [illegible] दण्डनायक
ओहदा
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

मोहर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	–	–	अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	–	–

नोटः– इस खर्चे के फॉर्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावें।